

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.3(ख)(1) (सेवानिवृत्ति)/अलेसे-11/ 23966-73

दिनांक :- 10.11.2015

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(6) वित्त/नियम/96 दिनांक 24.05.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के नीचे अंकित राज्य सरकार के निर्णय संख्या 2 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 की 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 7 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 8 में अंकित दिनांक को (मध्याह्न पश्चात्) राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	लिंक नं०	मेरिट नं.	नाम स.ले.अ. ग्रेड-11	श्रेणी	वर्तमान पदस्थापन विभाग/कार्यालय का नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	9769	834/86	श्री बसंत कुमार जोशी	—	कोषालय, बाडमेर	17.03.1956	31.03.2016
2	4839	439/88	श्री अब्दुल सलाम गौरी	—	जिला आबकारी अधिकारी, बूंदी	16.03.1956	31.03.2016

यहाँ यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

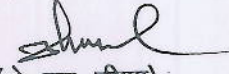

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3(ख)(1) (सेवानिवृत्ति)/अलेसे-11/ 23966-73

दिनांक:- 10.11.2015

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बाडमेर ।
3. जिला आबकारी अधिकारी, बूंदी ।
4. श्री स.ले.अ. ग्रेड-11, कार्यालय
5. उपनिदेशक, (ए.सी.पी.) कार्यालय हाजा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)।
7. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
8. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(कै. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)